

फ0अ0अ0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर

छात्रवृत्ति हेतु छात्रों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सत्र-2021-22

1. छात्रों को क्या करना है:-

- छात्रों को आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो साइज आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
- हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्मतिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है।
- आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (नाम एवं जन्मतिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्परेरी लाक कर सकेगा।
- आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग अनिवार्य है। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा में जाकर अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े खाते में ही की जायेगी।
- अपना आधार लिंक बचत बैंक खाता (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य कर लें।
- आधार लिंक बचत बैंक खाते को भलीभांति जांच लें। बिना आधार सीडेड खाता संख्या (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा। नवीनीकरण के छात्री/छात्राओं जिनका आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उन्हें पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा-हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के प्रकार, आय प्रमाण-पत्र में अंकित आय, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि को सावधानीपूर्वक जांच लें।
- सभी छात्र/छात्राएं अपना आवेदन स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सम्मिट करें।
- आवेदन पत्र सम्मिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट प्राप्त कर सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण-पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टर के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे तीन दिनों में आपकी लॉगिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। त्रुटि को ठीक करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सम्मिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट प्राप्त कर समस्त संलग्नकों के साथ महाविद्यालय में जमा करना होगा।
 - अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fees) के कालम में महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि को ही अंकित करें।
 - ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्हें प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वे सभी नवीनीकरण का ही आवेदन पत्र भरेंगे, न कि नवीन आवेदन पत्र। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ प्रविष्टियों को अनिवार्यता ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक/प्राप्तांक को सही भरें। क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय/एफलियेटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।

- सभी छात्र/छात्राएं स्वयं का ई0-मेल आई0डी0 व आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर को ही आवेदन पत्र में भरें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय-सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु <https://scholarship.up.gov.in> पर समय-समय पर सर्च करते रहे एवं बेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली-भांति पालन करें एवं समय-सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें।
- सभी छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर स्वतः एस0एम0एस0 भी जायेगा।
- सामान्य वर्ग (GEN) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की आय सीमा 2 लाख से कम है।
- अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों को आय सीमा 2.50 लाख से कम है।
- आय प्रमाण-पत्र केवल 3 साल की अवधि का ही मान्य होगा।
- अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रा यदि भारत सरकार की छात्रवृत्ति का चयन करते हैं तो उ0प्र0 सरकार की छात्रवृत्ति का आवेदन न करें। केवल एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा परास्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्रा अपनी फीस रसीद में अंकित धनराशि को अनिवार्य शुल्क प्रतिपूर्ति के कालम में भरें।
- केवल प्रथमवर्ष के (स्नातक एवं परास्नातक) समस्त छात्र अपनी फीस रसीद में अंकित धनराशि में से निम्नानुसार काशनमनी को घटाने के बाद छात्रों द्वारा अनिवार्य शुल्क प्रतिपूर्ति के कालम शेष धनराशि भरी जानी है।

| क्र० सं० | कक्षा | विषय | धनराशि |
|----------|---|-----------------------|-----------|
| 1 | स्नातक प्रथम वर्ष बी0ए0 | बिना प्रयोगात्मक विषय | 50 रुपये |
| 2 | स्नातक प्रथम वर्ष बी0ए0 | प्रयोगात्मक विषय | 100 रुपये |
| 3 | स्नातक प्रथम वर्ष बी0एस0सी0 (बायोग्रुफ) | प्रयोगात्मक विषय | 200 रुपये |
| 4 | स्नातक प्रथम वर्ष बी0एस0सी0 (मैथ ग्रुफ) | प्रयोगात्मक विषय | 150 रुपये |
| 5 | परास्नातक प्रथमवर्ष सभी विषय | बिना प्रयोगात्मक विषय | 50 रुपये |
| 6 | परास्नातक प्रथमवर्ष भूगोल विषय | प्रयोगात्मक विषय | 100 रुपये |
| 7 | बी0काम0 प्रथमवर्ष | — | 50 रुपये |
| 8 | एम0काम0 प्रथमवर्ष | — | 50 रुपये |

(नोडल अधिकारी)
छात्रवृत्ति

प्राचार्य
फ0अ0अ0 राज0स्ना0महाविद्यालय
महमूदाबाद, सीतापुर

छात्रवृत्ति हेतु छात्रों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सत्र-2021-22

2. छात्रों को क्या नहीं करना है।

- महाविद्यालय में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। स्वयं जमा करें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा-आधार नम्बर, हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र वार्षिक परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर) का परीक्षाफल प्रकाशित न होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन पत्र में **Result Yet Not Declared** का आग्रह भरकर आवेदन कर सकेंगे। **Result Yet Not Declared** से सम्बन्धित छात्र का आवेदन प्रत्येक दशा में सन्देहास्पद डाटा के रूप में प्रदर्शित होगा तथा छात्र का परीक्षा फल सन्देहास्पद डाटा को सही करने की दी गई समयावधि में छात्र द्वारा पूर्ण करके आवेदन को फाइनल सब्मिट करना होगा। सन्देहास्पद डाटा को सही करने की अन्तिम तिथि तक परीक्षाफल घोषित न होने पर ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी अर्थात् आवेदन को जनपद स्तर पर रिजेक्ट कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि संशोधन करने के उपरान्त भी महाविद्यालय में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर महाविद्यालय में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, हाईस्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, दशमलव, शून्य आदि का प्रयोग करता है तो आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित महाविद्यालय के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति बेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (Reject) कर दिया जायेगा।